नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निपटारा

जिला न्यायालय में आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत की सफलता में जुड़ा स्वर्णिम अध्याय

❑ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायमूर्ति एवं संरक्षक रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से लोक अदालत की सफलता हेतु दी बधाईयां

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में 13 जुलाई 2024 को सम्पूर्ण जिला रायगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, उक्त आयोजन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायमूर्ति एवं संरक्षक रमेश सिन्हा के दिशा-निर्देश एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर गौतम भादुड़ी के मार्गदर्शन में आयोजन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत, जो वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों माध्यमों से जिला न्यायालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया तथा बिलाईगढ़ में आयोजित किया गया। आयोजित उक्त नेशनल लोक अदालत के अवसर पर माननीय छग उच्च न्यायालय बिलासपुर से पोर्टफोलियो जज/न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल का आगमन हुआ।

सर्वप्रथम न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल के द्वारा जिला मुख्यालय रायगढ़ के न्यायालयीन परिसर में मॉ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। उक्त कार्यक्रम में, माननीय जितेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रबोध टोप्पो, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहित समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा समस्त मजिस्ट्रेट, सचिव अंकिता मुदलियार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला अधिवक्ता संघ से अध्यक्ष रमेश शर्मा सहित अन्य अधिवक्तागण तथा राजीनामा हेतु उपस्थित पक्षकारगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं जिला रायगढ़ के पोर्टफोलियों जज माननीय रविन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा न्यायालय भ्रमण कर प्रत्येक खण्डपीठ में जाकर पक्षकारों का तथा पीठासीन अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं जिला रायगढ़ के पोर्टफोलियों जज रविन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा न्यायालय भ्रमण किया गया भ्रमण के दौरान उनके साथ जिला न्यायालय रायगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश जितेन्द्र कुमार जैन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेन्द्र साहू, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित मुदलियार, अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष नरेन्द्र प्रधान एवं सचिव शरद पाण्डेय उपस्थित रहें। न्यायमूर्ति न्यायालय में गठित प्रत्येक खण्डपीठ में गये वहां पर पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत करने हेतु प्रेरित किया, प्रत्येक खण्डपीठ में जाकर पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया, कि उनके माध्यम से आज जो राजीनामा होगें उनसे लोगों के बीच न्याय का संबंध और मजबूत होगा, उन्होंने पक्षकारों से बातचीत कर यह बताया, कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल यह है, कि न किसी की जीत और न किसी की हार और जीत केवल न्याय की हो। न्यायमूर्ति द्वारा अधिवक्ता संघ के कार्यालय में जाकर अधिवक्ता बंधुओं से बातचीत कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकरण करने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिये प्रेरित किया गया।

जिला रायगढ़ की खण्डपीठ 11 में निराकृत हुआ ऐतिहासिक प्रकरण जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने पक्षकारों को आगामी जीवन प्रेम और स्नेह के साथ व्यतीत करने की शुभकामनाओं के साथ, साथ-साथ घर जाने के लिए किया प्रेरित।

जिला- रायगढ़ के लिए नेशनल लोक अदालत का सफर उस समय यादगार बन गया, जब प्रवीण मिश्रा खण्डपीठ क्रमांक 11 में माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल पहुंचे तब उक्त खंडपीठ में 02 वरिष्ठजन को खंडपीठ के न्यायाधीश समझा रहे थे, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार था, कि वर्ष 2021 में लगभग 65 वर्षीय वरिष्ठ महिला ने अपने पति एवं संतानों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला पेश किया था, जिसमें पति एवं बच्चों द्वारा प्रताडऩा की शिकायत उन्होंने की थी समझाईश देने के दौरान माननीय न्यायमूर्ति उक्त खण्डपीठ में उपस्थित हुए और उन्होंने सारे प्रकरण की जानकारी ली, वरिष्ठ महिला ने माननीय न्यायमूर्ति को सारी घटना की जानकारी दी तब न्यायमूर्ति द्वारा उपस्थित पक्षकार के पति और बच्चों को समझाया गया, और कहां गया, कि दामपत्य जीवन में प्रेम ही सम्पूर्ण जीवन की मूल धारा है, जिसमे क्रुरता का कोई स्थान नहीं है और बच्चों के लिए माता-पिता ईश्वर है, जिनकी पूजा मात्र से संतानों के भूत वर्तमान एवं भविष्य के कर्मो का फल प्राप्त होता है, इसपर वरिष्ठ महिला के पति एवं संतानों ने अपनी गलती को मानते हुए पत्नि एवं मां से क्षमा मागीं इसी दौरान ऐतिहासिक पल तब आया, जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं संरक्षक रमेश सिन्हा महोदय जी वर्चुअल माध्यम से उक्त खण्डपीठ से जुड़े और उनके द्वारा भी बुर्जुग दंपत्ति को विवाद छोड़कर प्रेम और स्नेह का रास्ता अपनाने को कहां गया, जिस पर पूरा परिवार राजी हो गया, उक्त प्रकरण में खण्डपीठ में उपस्थित समस्त व्यक्ति भावुक हो गये, और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल महोदय जी द्वारा उन्हें फलदार वृक्ष देकर राजीखुशी दामपत्य जीवन निर्वहन करने की शुभकामना देकर घर भेजा।

पुत्र की परिभाषा जन्म लेते ही सृष्टि में उन्हें लाने वाले देव तुल्य माता-पिता के लिए श्रवण कुमार की तरह होती है, और हर संतान को अपने दायित्यों एवं कर्तव्यों का अपने माता-पिता के प्रति श्रवण कुमार की तरह करना चाहिए।

इस नेशनल लोक अदालत में यह भी विशेष रही कि परिवार न्यायालय रायगढ खण्डपीठ क्र0-2 में रखे गये भरण-पोषण का मामला विविध आपराधिक प्रकरण क्र0-एफ 11/2024 में माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा उभयपक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकरण के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही सन्तान का दायित्व केवल पुत्र रहने मात्र से पूर्ण नहीं होता, उसे श्रवण कुमार की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, की समझाईश दी गई। माननीय महोदय द्वारा दी गई उक्त समझाईश से दोनों पक्षकार के द्वारा खण्डपीठ के समक्ष राजी-खुशी से समझौता कर अनावेदक पुत्र द्वारा आवेदकगण माता-पिता को 10,000- 10,000/- रूपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि अदा करने हेतु सहमति देते हुए अपना प्रकरण समाप्त किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं जिला रायगढ़ के पोर्टफोलियों जज रविन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

ऐतिहासिक रुप से रिकार्ड प्रकरणों का हुआ निराकरण और राज्य में प्रकरणों के निराकरण में रायगढ़ जिला पहुंचा चौथे पायदान पर

नेशनल लोक अदालत का माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ जितेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता एवं कुशल नेतृत्व में जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़ एवं बिलाईगढ में सफलता पूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। जिला एवं तहसील न्यायालयों तथा राजस्व न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, सिविल मामले, राजस्व मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 4716 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 21338 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया।

इस प्रकार रखे गये कुल 26054 प्रकरणों में से लंबित 3966 एवं प्रीलिटिगेशन 12110 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 16076 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम रायगढ़ एवं तहसील स्थित ब्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, बिलाईगढ़ व राजस्व न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणो़ के अंतर्गत कुल 66922714/- रूपये (अक्षरांक छ: करोड़ उन्हत्तर लाख बाईस हजार सात सौ चौदह रूपये) का सेटलमेंट हुआ।

राजीनामा के आधार पर न्यायालयों में लम्बित 05 वर्ष से अधिक अवधि के 39 प्रकरण तथा वरिष्ठ नागरिकों के 05 एवं महिलाओं के लंबित 33 प्रकरणों का निराकरण हुआ।

राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 12302 मामले रखे गये जिनमें से 12006 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

सरसीवा और पवनी के परिसीमन का दावा आपत्ति सुझाव 15 से 22 जुलाई तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के नवीन नगर पंचायत सरसीवा और पवनी में परिसीमन के तहत सीमा निर्धारण संबंधी प्रस्ताव 12 जुलाई 2024 तक किया गया। अब परिसीमन का प्रारंभिक प्रकाशन, दावा आपत्ति, सुझाव की तिथि 15 जुलाई से 22 जुलाई 2024 है, जिसका कलेक्टर के द्वारा नियत अवधि में नागरिकों से प्राप्त आपत्ति, सुझाव और उन पर अपना अभिमत सहित सम्पूर्ण प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने की निर्धारित तिथि 25 जुलाई 2024 है।

मजदूरों से भरा वाहन पलटा : 25 घायल

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जिले के चारपारा से ठडगा बहरा गांव के बीच मजदूरों को लेकर जा रहा वाहन पलट गया। हादसे में 25 मजदूर घायल हुए हैं। जिसमें 4 की हालत गंभीर होने पर बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। अन्य घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। घटना बलौदा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार छोटा हाथी वाहन में 30 से 35 लोग सवार थे। जिनमें पुरुष,महिला, युवक, युवतियां शामिल हैं। सभी भारत माला प्रोजेक्ट सडक़ निर्माण में मजदूरी का काम करने जा रहे थे। इस बीच तेज रफ्तार में होने की वजह से वाहन ने नियंत्रण खो दिया। सडक़ किनारे डिवाइडर से टकराने के बाद वाहन सडक़ में पलट गया। हादसे के बाद ग्रामीणों की मदद से सीएचसी अस्पताल लाया गया। हादसे में 25 लोग घायल हुए। जिसमें 4 को बिलासपुर रेफर किया गया। घायलों का नाम रिया (20) ,राधिका (22), सावित्री (45) और संतोषी (60) है। बाकी घायलों को जिला अस्पताल जांजगीर और बीडीएम अस्पताल चांपा भर्ती कराया गया। सभी का प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई।

वृद्ध पिता की हत्या करने वाला कलयुगी पुत्र गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जशपुर (आरएनएस)। जशपुर के बगीचा थाना के अंतर्गत रहने वाला नशोड़ी पुत्र ने नशे में अपनी ही वृद्ध पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी संजय नागवंशी 39 वर्ष निवासी कुरोंग थाना बगीचा ने पिता ठाकुर राम उम्र 70 वर्ष को फावड़ा मार कर हत्या कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को पकडक़र पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह सुबह से ही शराब के नशे में था, उसके पिता द्वारा खेत में हल चलाने को कहने पर आरोपी संजय ने हल चलाने से मना कर दिया। इसी बता को लेकर पिता-पुत्र में विवाद शुरू हो गया, जिससे क्षुब्ध होकर नशोड़ी पुत्र ने पास में ही रखे फावड़ा उठाकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। कान-नाक, चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

संवेदनशील पुलिसिंग : पुलिस के जवान ने पेश की मानवता की मिसाल

दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को 3 कि.मी. कांवर में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

रायगढ़

पुलिस लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ जंगल के बीच ग्राम पारेमेर घुटरूपारा बसा है जहां बरसात के दिनों में गांव के एक ओर चार पहिया वाहन का पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में घुटरूपारा में एक गर्भवती महिला का दर्द उठना परिवार के लिए मुसीबत बन गया। परिवार ने गर्भवती सुष्मिता 28 साल को अस्पताल तक पहुंचाने डायल 112 को मदद के लिए काल किया गया। मेडिकल इमरजेंसी का कॉल थाना कापू राईनो को प्राप्त हुआ। कालर ने महिला को प्रसव पीड़ा होने की जानकारी दी। डायल 112 ड्यूटी में तैनात आरक्षक विपिन किशोर खलखो और ईआरवी वाहन चालक छोटू दास तुरंत रवाना हुए। गर्भवती महिला का घर नाला, पहाड़ी के उस पार स्थित होने और वाहन आवागमन के लिए रास्ता नहीं होने से आरक्षक प्रबल किशोर और वाहन चालक छोटू दास पैदल ही महिला के घर पहुंचे। गर्भवती महिला की स्थिति को देखकर बिना देरी किये आरक्षक प्रबल किशोर ने कावड़ से प्रसव पीड़ित महिला को वाहन तक ले जाने घरवालों को राजी किया और स्वयं एक युवक के साथ कांवर में महिला को उठाकर डायल 112 वाहन की ओर चल पड़ा। गर्भवती महिला को कांवर में लेकर जवान करीब 03 कि.मी.पहाड़ी नाला को पार कर डायल 112 के वाहन तक पहुंचा और वाहन में बिठाकर अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में गर्भवती को अत्यधिक पीडा होने से जवान ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन पेड की आड में खडा कराया, जहां मितानिन और महिला के परिजन ने बपर्दा गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। जिसे डायल 112 वाहन से तत्काल नजदीकी शासकीय अस्पताल जमरगा में दाखिल किया गया जहां जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसी स्थिति में डायल 112 के त्वरित प्रतिक्रिया और सहायता के लिए पुलिस की सराहना की है।

उधारी पैसा लौटाने के बहाने घर आकर महिला से छेड़छाड़

❑ महिला की शिकायत पर जूटमिल पुलिस ने छेड़खानी की अपराध में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

दिनांक 13/07/2024 को स्थानीय महिला द्वारा थाना जूटमिल में आरोपित मुन्ना यादव पर घर में अकेली पाकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज करायी। महिला ने बताया कि 12 जुलाई को सुबह पति ड्यूटी पर गया हुआ था। घर पर अकेली थी शाम करीब 4:30 बजे मुन्ना यादव आया और उधारी रु.50 लौटने की बात कह कर उल्टी-सीधी अश्लील बातें करने लगा, जब मुन्ना यादव को पति के नहीं होने की जानकारी हुई तो हाथ बांह पकड़कर छेड़खानी करने लगा। महिला शोर मचाई तो मुन्ना यादव अपनी बाइक लेकर भाग गया। महिला ने पति के वापस घर आने पर घटना बताई और थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 325/2014 धारा 74,75(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत छेड़खानी का अपराध दर्ज कर तत्काल थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दिए और आरोपी को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी मुन्ना यादव (उम्र 30 साल) को आज दिनांक 14/07/2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, महिला प्रधान रक्षक क्लोस्टिका खरे एवं पेट्रोलिंग आरक्षक सुशील यादव, जितेश चौहान की प्रमुख भूमिका रही है।

इच्छुक युवा अग्निवीर वायु सैनिक के लिए 28 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सहायक संचालक कौशल विकास पुरुषोत्तम स्वर्णकार ने बताया की वायु सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। इसके लिए युवाओं की जन्मतिथि 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। यह साढ़े 17 से 21 साल के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इच्छुक युवक युवती अग्निवीर वायु सैनिक के लिए 28 जुलाई 2024 को रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, जिसका ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है। पंजीकरण के लिए पोर्टल अग्निपथ वायुसीडीएसी डॉट इन पर किया जा सकता है। इसके लिए योग्यता हायर सेकंडरी बारहवीं में विज्ञान, वाणिज्य कला वर्ग के विद्यार्थी 50 प्रतिशत प्राप्तांक और अंग्रेजी विषय में अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत अंक आने पर शैक्षणिक रूप से भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र होते हैं।

मोबाइल नंबर और ईमेल सही देना फायदेमंद- सहायक संचालक स्वर्णकार ने बताया कि युवा जब फॉर्म भरें तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर प्रदान करें ऐसा ना हो कि जहां से फॉर्म भर रहे हैं और उसी दुकानदार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया जाए इससे कब परीक्षा होगी कब आपके मोबाइल पर सूचना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहता कि दुकानदार बच्चे को बताए। परीक्षा से ऐसे बच्चे वंचित हो जाते हैं। इसलिए फॉर्म भरते समय या अन्य जरूरी स्थानों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही दें।

उल्लेखनीय है कि वायु सेना में अग्निवीर वायु सैनिक में चयनित होने पर 100 में से 25 सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद आगामी सेवा के लिए बढ़ाया जाता है। इसके साथ-साथ 4 साल की सेवा के बाद लौटने पर अन्य प्रकार की लाभ जैसे केंद्रीय में राज्य सरकार अन्य नौकरियों में उनके लिए रिजर्व सीट रहता है। साथ ही साथ उनको राशि 10 लाख के साथ अन्य राशियों को जोड़ें तो 20 लाख रुपए की भुगतान उनको किया जाता है। अग्निवीर में चयनित होने पर उनको रहना खाना पीना और वर्दी निशुल्क रहता है। साथ ही पहला रेल यात्रा फ्री होता है। बाकी में राशि में छूट दिया जाता है।

एक ट्रक सीमेंट की हेरा फेरी करने वाले फरार ड्राइवर को कोतरा रोड पुलिस ने रायपुर के खमतराई इलाके से किया गिरफ्तार

❑ 620 बोरी सीमेंट दूसरे को बेच कर फरार हो गए थे वाहन चालक और वाहन मालिक

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर संदिग्ध व फरार आरोपियों की धरपकड़ के अभियान में कोतरारोड़ पुलिस को पिछले ढाई साल से फरार चले रहे खयानत के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी वाहन चालक का कोई निश्चित पता, ठिकाना नहीं होने से गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। थाना प्रभारी कोतरारोड निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा लगातार आरोपी की जानकारी जुटाई जा रही थी, पिछले दिनों आरोपों के रायपुर, खमतराई इलाके में रहने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम रायपुर रवाना होकर आरोपी को हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया।

घटना को लेकर कृष्णा बिहार कालोनी कोतरारोड़ में रहने वाले लोकेश अग्रवाल द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को थाना कोतरारोड़ में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका कृष्णा लाजिस्टिक का आफिस पतरापाली ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित है। जहां ट्रांसपोटिंग का काम किया जाता है। दिनांक 04.09.2021 को ट्रक क्रमांक CG 04 ME 5722 के चालक पप्पू कुमार यादव के माध्यम से JSPL कम्पनी पतरापाली से 620 बोरी सीमेंट (कीमती 164299/- रूपये) लोड कराकर अक्षत इंटरप्राजेंज रमानुजगंज के लिए रवाना किया गया था। उक्त माल को ड्रायवर रमानुजगंज ना ले जाकर अपने वाहन मालिक इमाम खान गढवा ने आपस में मिलकर बेईमानी से सीमेंट को कहीं और बिक्री कर दिये जिस पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 317/2021 धारा 407, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायम होने के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। वाहन चालक का निश्चित पता, ठिकाना नहीं होने से गिरफ्तारी में समय लग रहा था, थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा डीएसपी अखिलेश कौशिक के मार्गदर्शन पर लंबित मामलों के फरार आरोपियों की लगातार जानकारी मुखबीरों से ली जा रही थी। इसी बीच आरोपी के कुछ दिनों से रायपुर खमतराई में होने की जानकारी पर तत्काल पुलिस अधीक्षक की अनुमति पर कोतरारोड़ की टीम रायपुर रवाना होकर खमराई पुलिस के साथ दबिश देकर आरोपी पप्पू यादव उर्फ प्रेम कुमार यादव पिता मंगऊ यादव 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 03 थाना केरार, जिला गढवा (झारखंड) को हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया। आरोपी ने गाड़ी का किस्त नहीं अदा करने पर मालिक के साथ मिलकर 620 बोरी सीमेंट अन्यत्र बेच देना बताया। आरोपी वाहन मालिक इमाम खान माननीय हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर है। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा वाहन जप्ती आदि की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है। आरोपी के विरूद्ध शीघ्र चालानी कार्यवाही की जावेगी।

बांसउरकुली, धारासीव और ग्राम बिलासपुर में 15 जुलाई को होगा राजस्व शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़

बिलाईगढ़ अनुविभाग में 15 जुलाई को बांसउरकुली, धारासीव और ग्राम बिलासपुर में राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा। बांसउरकुली शिविर: बिलाईगढ़ तहसील के बांसउरकुली शिविर में कर्राचखला (12), खुरसुला (12), भण्डोरा(12), रमतला(12), अजुर्नी (14), झरनीडीह(14), टाडापारा(14), देवरबोड(14), दीवानपुर (14), बांसउरकुली (14), कारीपाट(15), गोदली(15), नवापारा(15), पंडरीपानी(15) और सुतीउरकुली(15) के ग्रामीण शामिल होकर अपने राजस्व संबंधी कार्य करा सकते हैं।

धारासीव शिविर: भटगांव तहसील के ग्राम धारासीव शिविर में ग्राम धारासीव, चंदलीडीह, जमनार, ठाकुरदिया, डोकरीडीह और बरभाठा के नागरिक शामिल होकर अपने राजस्व प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।

बिलासपुर शिविर:सरसींवा तहसील के ग्राम बिलासपुर के शिविर में ग्राम बिलासपुर, मुड़पार, टाटा, चोरभट्ठी और जोगेसरा के ग्रामीण अपने राजस्व कार्य करा सकते हैं।

नागरिक और किसान राजस्व शिविर में उपस्थित पंचायत सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही कोटवार शिविर के दिन की सूचना मुनादी के माध्यम से गांवों में देंगे। राजस्व कार्यों जैसे बी-1 नकल, खसरा, फौती नामांतरण, खाता विभाजन, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, अभिलेख शुद्धता, भूअर्जन, प्राकृतिक आपदा आदि के सभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मैदानी कार्य जिसमें संबंधित किसान के खेतों में जाकर नाप-जोख करना होगा उनको छोड़कर अन्य सभी कार्य जैसे खसरा शुद्धिकरण, आय, जाति, निवास, केसीसी फार्म, डिजिटल सिग्नेचर आदि कार्य में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार से संबंधित सभी कार्य शिविर में ही संपन्न होगा।

सेजेस सारंगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वन महोत्सव

सारंगढ़ बिलाईगढ़। स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम विद्यालय(सेजेस) सारंगढ़ में शनिवार को बैग-लेश डे के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में स्थित माँ सरस्वती की मंदिर वाले बगीचे में पौधारोपण करके की गई। पौधारोपण में विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा " एक पेड़ माँ के नाम " की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात मिडिल स्कूल के प्रधानपाठक राजेश देवांगन द्वारा सालूमरदा थिमक्का जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है जिनकी उम्र 112 वर्ष है और वह 8000 से भी अधिक पेड़ लगा चुकी हैं जिसके कारण उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480